

प्रतिवादी/वादी द्वारा उपलब्ध कराया गया। वकील/वादी को - 300/- रुपये कोर्ट (दिल्ली) जारी। पत्रावली एवं मामली तस्वीरें हक प्रिवॉक 23/04/2018 को पेश हैं।



04/05/2018

पत्रावली/आदेश सचिव लोक अदालत (दिल्ली) में सुनवाई हेतु प्रेषणी करनी। वादी मोहन एवं सखी प्रतिवादी/वादी हक प्रिवॉक उपलब्ध कराई व प्रतिवादी/वादी को सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का हमारे द्वारा अपलोड किया व मजबूत किया गया। वादी मोहन व प्रतिवादी/वादी हक प्रिवॉक कर राजीनामा प्राप्त पर वेका कर प्रत्यक्ष विस्तारण हेतु सहमति पेश की जाती है। आदेश: श्याम कंठारिया नरसील बेगं में स्थित आदेश सं० 458/18 रकबा 0.4900 हेतु अर्ज जो कि वादी/वादी के पत्रावली एवं हक प्रिवॉक एवं उपलब्ध की है। उक्त आदेश में प्रतिवादी/वादी प्रेषणी। से 6 का कोर्ट हक प्रिवॉक लेने से दावा ऑ. एच. 188 R.T.A. का बॉन्ड प्रेषणी विवेधारा वादी/वादी के पत्रावली में घोषित किया जाना अनिवार्य है।

मोहन


नाथूरा

रामप्रसाद

गौरी

कानू

मदन



आदेश बाद ऑ. एच. 188 R.T.A. का बाबत प्रेषणी विवेधारा आपकी सहमति व लोक अदालत आदेश से स्वीकार किया जाना है। दावा प्रतिवादी/वादी के पत्रावली एवं हक प्रिवॉक प्रेषणी। से 6 का कोर्ट हक प्रिवॉक लेने से दावा ऑ. एच. 188 R.T.A. का बॉन्ड प्रेषणी विवेधारा वादी/वादी के पत्रावली में घोषित किया जाना अनिवार्य है। जो कि वे मोहन श्याम कंठारिया नरसील बेगं में स्थित आदेश सं० 458/18 रकबा 0.4900 हेतु अर्ज जो कि वादी/वादी के पत्रावली एवं उपलब्ध की है, में न तो किसी तरह का दस्तावेज प्रेषणी करें, व किसी अन्य से प्राप्त। पत्रावली पत्रावली कुमार होकर नकल से बंध लेकर वादी/वादी के पत्रावली में प्रेषणी।

सहायक कलेक्टर
(उपस्थान अधिकारी)
बेगं (चित्तौड़गढ़)